(66)

COURT FEE भारत INDIA दस रुपए TEN RUPEES · दो TWO · दो TWO · एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केन्द्र -ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : 2003-2004 निगरानी R-1728-III/03

श्री दिनेश राठौर, अभि० द्वारा पेश 19/11/03 को केस ओपेन पर पेश हुए।
19/11/03

1- कस्तुरीबाई पति स्वर्गीय ओंकारलाल जाति माली
2- नन्दीबाई पुत्री ओंकारलाल जाति माली
3- लीलाबाई पुत्री ओंकारलाल जाति माली
निवासीगण मानखेड़ा हालमुकाम ग्राम आक्या
तहसील मन्दसौर जिला मन्दसौर ---आवेदकगण

विरुद्ध

1- जगदीश आत्मज देवराम जाति माली
2- रामेश्वर पिता देवराम जाति माली
निवासीगण ग्राम पिपल्या जोधा तहसील जावरा
जिला रतलाम ।म०प्र० । -----अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू०राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जावरा के आदेश दिनांक 29-10-2003 प्रकरण क्रमांक 26 :2002-03 अपील से असन्तुष्ट एवम दु:खित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :-

1:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी - विधि एवम विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने विधान के विपरीत जाकर अपील स्थगित करने मे महान वैधानिक त्रुटि की है ।

3:- यह कि सिविल वाद प्रस्तुत होने मात्र मे रैवेन्यु कार्यवाही - स्थगित नही की जा सकती है ।

4:- यह कि यह न्याय दृष्टान्त माननीय उच्च न्यायालय एवम - राजस्व मण्डल ने अपनी अनेक न्याय मणियो मे प्रतिपादित किए है -

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1728-तीन/03 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	